प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 08 मार्च, 2019

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, संतकबीरनगर के लिए फर्नीचर, किचन, चिकित्सा एवं सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3790/नम-3-39/संतकबीरनगर/2018, दिनांक 13.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में एवं जनपद संतकबीरनगर में निर्माणाधीन जिला कारागार के लिए फर्नीचर, किचन, चिकित्सा एवं सुरक्षा उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित प्राविधानों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1460/22-4-18-48(5)/03, दिनांक 31.12.2018 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार, संतकबीरनगर में फर्नीचर, एवं सुरक्षा उपकरणों हेतु 5 के0वीए0यू0पी0एस0 01 नग एवं ई0पी0ए0बी0एक्स0 फर्नीचर तथा किचन/चिकित्सा व सुरक्षा उपकरण के क्रय हेतु धनराशि रू0 99,91,000/-(रूपया निन्यानवे लाख इक्यान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ का होगा।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्थापित करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश दिनांक 30.05.2018 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-21/2019/220(1)/22-4-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण गिम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।